न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं०–03, मेरठ।

UPME041291922022

FINAL REPORT/4813/2022

वाद संख्या 4813/2022
विनोद कुमार राणा बनाम सोनू
मु०अ०सं०–135/2017
अं० धारा–307 भा०दं०सं०
थाना–रोहटा, जिला मेरठ।

दिनांक–10.01.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी मुकदमा अनुपस्थित।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी मुकदमा पर पूर्व में तामील बजात खास हो चुका है तथा वादी मुकदमा को अंतिम अवसर भी प्रदत्त किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वह प्रकरण के संदर्भ में अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं है। मेरे द्वारा केस डायरी व समस्त पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित है कि विवेचक द्वारा अंतिम आख्या इस आधार पर प्रेषित की गयी है कि अब तक की तमामी विवेचना, बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल के आधार पर मुकदमा उपरोक्त के घटना मृतक सोनू द्वारा की गयी है, जिसके द्वारा स्वंय गोली मारकर हत्या कर ली गयी थी। अतः साक्ष्य के अभाव में मुकदमा उपरोक्त की विवेचना जरिये अंतिम रिपोर्ट सं० 51/17 समाप्त की जाती है।

विवेचना में कोई त्रुटि नहीं पायी गयी। उपरोक्त परिस्थिति में थाना रोहटा की पुलिस द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

मु०अ०सं० 135/2017, अन्तर्गत धारा 307 भा०दं०सं०, थाना रोहटा, मेरठ में विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट संख्या 51/17 स्वीकार की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(सक्षम द्विवेदी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं०–03, मेरठ।
जे०ओ० कोड– 2453